बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41 / 2020.....5335.. पटना, दिनांक :–30/06/2023

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 300 दिनांक 21.04.2023 द्वारा श्री सुधीर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04584) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये शिविर–सिंहेश्वर के मौजा सुखासन थाना नं– 28 में लगभग ढ़ाई वर्षो से कार्यरत हैं। कार्यरत अवधि के एक वर्ष में मात्र किस्तवार का कार्य एवं लगभग छः माह में याद्दाश्त का कार्य 100 से भी कम किया गया है। साथ ही उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण कार्य करने हेतु सक्षम नहीं दिखते हैं और न ही कार्य सिख कर कार्य करने की प्रवृति भी इनके अन्दर दिखती है, जिसके आलोक मे अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4093 दिनांक 02.05.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा शिविर कार्यालय में हुए मौजा सुखासन का तेरीज लखन पुस्तिका चोरी हो जाने तथा मौजा बड़ा होने के साथ–साथ कुछ दस्तावेज मिलने में भी विलंब होने कारण कार्य में विलंब हुआ है।

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित दस्तावेजों / अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। आरोपित द्वारा स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त होने का तथ्य दिया गया है, परन्तु इसके समर्थन में कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जहाँ तक प्रश्न अभिलेख के चोरी का है, तो स्पष्टीकरण के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चोरी की घटना दिनांक 24.01.2023 की है जबकि ये उक्त शिविर में वर्ष 2021 से कार्यरत हैं। मौजा बड़ा होने का तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी संविदा कर्मियों को लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य दिया गया है। अतः इनके स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा आरोप से बचने हेतु बहानेवाजी की जा रही है। कोई ऐसा साक्ष्य स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों के समर्थन में नहीं दिया गया है, जो इनपर लगाए गए आरोप को खंडित करता हो।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा समय–सीमा निर्धारित की गयी है, जिस हेतु योजना अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूर्ण किया जाना है। ऐसे कर्मी के कार्य शिथिलता, बहानेवाजी जैसे कृत्य का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर न पड़ने के दृष्टिकोण से इनका संविदा नियोजन बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री सुधीर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04584) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

30/6/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41/2020 5335 **पटना, दिनांक** :– 30/6/2023

प्रतिलिपि :– श्री सुधीर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04584), बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 27/6/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41/2020 5335 **पटना, दिनांक** :–30/6/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41/2020 5335 **पटना, दिनांक** :–30/06/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 27/6/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप